भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3728
25 मार्च, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत नियुक्त संविदागतकर्मी

3728. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:
श्री विनायक भाऊराव राऊत:
श्रीमती भावना गवली (पाठील):

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत चलाए जा रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए महाराष्ट्र तथा दमन और दीव सहित आवंटित और जारी की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उक्त मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदाकर्मियों के वेतन/पारिश्रमिक को वार्षिक आधार पर बढ़ाया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान महाराष्ट्र तथा दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव सहित एनएचएम के तहत विभिन्न श्रेणियों में नियुक्त कर्मियों के वेतन में वृद्धि का पद-वार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में ऐसी न्याय संगत, वहनीय और गुणवत्तापरक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच हासिल करने की परिकल्पना की गई है जो लोगों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी और अनुकूल हों। एनएचएम में इसके दो उप-मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) शामिल हैं। कार्यक्रम के प्रमुख घटकों में- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, प्रजनन-मातृ-नवजात-बाल और किशोर स्वास्थ्य (आरएमएनसीएच+ए) तथा संचारी और गैर-संचारी रोग शामिल हैं।

एनएचएम के अंतर्गत ऐसे विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम हैं जिनके लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान जाती है, जिनमें संविदात्मक आधार पर स्वास्थ्य मानव संसाधन को भर्ती करने हेतु सहायता, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं, मोबाइल चिकित्सा इकाइयां, अवसंरचना सुदृढ़ीकरण, 24x7 सेवाओं और प्रथम रेफरल सुविधाएं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, जैव-चिकित्सा उपकरण रखरखाव और प्रबंधन कार्यक्रम, नि:शुल्क नैदानिक सेवा पहल और नि:शुल्क औषधि सेवा पहल शामिल हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों का कार्यान्वयन और संबंधित कार्यकलाप, लक्ष्य प्रमाणन, मेरा अस्पताल, कायाकल्प पुरस्कार योजना, रोगी कल्याण समिति, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समितियां उप-केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को परिवर्तित करके 1,50,000 आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों (एबी-एचडब्ल्यूसी) का सृजन सम्मिलित है।

चालू वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएचएम के तहत आवंटित और निर्गत निधि का ब्यौरा संलग्न है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में उनके संसाधनों की उपलब्धता के अधीन उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर आधारित होती है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार रिकार्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रदान करती है। चूंकि जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है, स्वास्थ्य संबंधी मानव संसाधनों के उनके वेतन/पारिश्रमिक सहित सभी प्रशासनिक और व्यैक्तिक मामले महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निहित होते है।

हालांकि, कुल मानव संसाधन (एचआर) के 5% बजट का अनुमोदन एनएचएम के तहत सभी स्वास्थ्य मानव संसाधनों (एचआरडी) में वृद्धि के तौर पर किया गया है तथा कुल 3% एचआर बजट की सिफारिश एचआर यौक्तिकरण के लिए की गई है जिसके भीतर किसी वास्तविक संवर्धन का निर्धारण करना राज्य का अधिकार है। एक वर्ष में किसी भी कर्मचारी के पारिश्रमिक में 0% से 15% (कार्य निष्पादन और यौक्तिकरण के आधार पर) अधिकतम वृद्धि की जाती है। एचआर यौक्तिकरण प्रक्रिया और इसके सिद्धांतों, वृद्धि सहित, का राज्य स्वास्थ्य सोसाएटी शासी निकाय (एसएचएस जीबी) द्वारा अनुमोदन किया जाता है। राज्य को यह सुनिश्चित करना होता है कि पारिश्रमिक का अनुमोदन इस प्रकार किया जाए कि इससे एचआर एकीकरण की प्रक्रिया सरल हो तथा समान अर्हता, कार्यभार और कार्यकौशल वाले कर्मचारियों के लिए वेतन युक्तिसंगत बनाया जा सके।

इसके अलावा, एनएचएम के तहत विभिन्न श्रेणियों में तैनात कामगारों के पदवार वेतन के आंकड़े केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते।

अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत केंद्रीय आवंटन और निर्गत निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य /संघ राज्य के नाम	2021-22	
		केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय निर्गत
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	41.62	36.10
2.	आंध्र प्रदेश	1237.95	1029.74
3.	अरुणाचल प्रदेश	294.27	131.02
4.	असम	1732.64	1524.55
5.	बिहार	2026.69	1167.14
6.	चंडीगढ़	26.30	15.88
7.	छत्तीसगढ	985.85	634.31
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	46.15	28.23
9.	दिल्ली	179.64	78.39
10.	गोवा	40.57	8.72
11.	गुजरात	1147.40	875.10
12.	हरियाणा	566.85	422.44
13.	हिमाचल प्रदेश	507.47	382.85
14.	जम्मू और कश्मीर	716.25	275.66
15.	झारखंड	933.20	340.33
16.	कर्नाटक	1305.23	1087.13
17.	केरल	784.68	666.01
18.	लक्षद्वीप	9.53	8.34
19.	मध्य प्रदेश	2220.09	2019.75
20.	महाराष्ट्र	1938.87	1142.75
21.	मणिपुर	207.19	96.73
22.	मेघालय	211.03	104.66

23.	मिजोरम	140.94	74.46
24.	नगालैंड	175.46	59.98
25.	उड़ीसा	1238.50	887.95
26.	पुदुचेरी	36.58	13.21
27.	पंजाब	488.28	258.20
28.	राजस्थान	2024.38	1232.39
29.	सिक्किम	71.50	19.88
30.	तमिलनाडु	1533.20	1220.51
31.	त्रिपुरा	238.22	160.64
32.	उत्तर प्रदेश	4419.86	2784.68
33.	उत्तराखंड	629.00	469.85
34.	पश्चिम बंगाल	1643.35	1313.78
35.	तेलंगाना	825.48	559.80
36.	लद्दाख	112.15	43.40

नोट:

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में दो उप मिशन नामत् राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) शामिल हैं।

2. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आवंटन मूल परिव्यय/बजट अनुमान के अनुसार है।

3. उपर्युक्त निर्गत निधियां केंद्र सरकारी अनुदान से संबंधित हैं और इसमें राज्य का अंशदान शामिल नहीं है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए निर्गत निधि को 04.03.2022 तक अद्यतन किया गया है।

******